



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-55/2024

श्री प्रेम सिंह,  
नायक गेट, टनकपुर,  
जिला- चम्पावत।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,  
विद्युत वितरण खण्ड,  
चम्पावत।

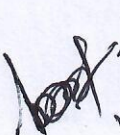
प्रतिवादी

### निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके संयोजन संख्या सीएच01टी0321263278 के सापेक्ष मीटर खराब है और अत्यधिक बिल के कारण उनका कनेक्शन काट दिया गया है। उन्होंने गलत बिलों को संशोधित करने के लिये अनुरोध किया है ताकि वह भुगतान कर संयोजन जुड़वा सकें। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 88 दिनांक 27.08.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई दिनांक 08.10.2024 में मंच के विद्युत शिकायत निवारण कैम्प ब्लॉक पाटी में हुई। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं० 783552617 पर बात करने की कोशिश की गई परन्तु नं० गलत पाया गया। प्रतिवादी की तरफ से श्री बसन्त बल्लभ, अवर अभियन्ता, अनुभाग पाटी ने बताया कि वादी का मीटर एवम् बिल सही है। उन्होंने बताया कि वादी का संयोजन, बिलों के बकाये पर काटा गया है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी की तिथि 14.11.2024 को नियत की गई।

3. मंच की अन्तिम सुनवाई तिथि 14.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री संजय भण्डारी, उपखंड चम्पावत से फोन पर बात की गई उन्होंने बताया कि वादी के बिल सही निर्गत किये गये हैं जिनका भुगतान करने के पश्चात वादी का संयोजन चालू कर दिया जायेगा।

 14/11/2024



काट ४० ११/२०२४

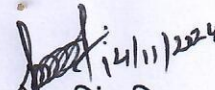
### आदेश

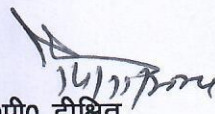
विभाग ने बताया कि वादी के बिल सही निर्गत किये गये हैं जिनके भुगतान के पश्चात संयोजन को पुनः जोड़ दिया जायेगा। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अन्दर वादी को अद्यतन अन्तिम बिल उपलब्ध करा दिया जाये जिसका भुगतान करने के पश्चात 3 दिन के अन्दर विभाग द्वारा संयोजन चालू कर दिया जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक — 14.11.2024

  
भूपेन्द्र सिंह बिष्ट  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओपीओ दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-59/2024

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जसमल सिंह ,  
ग्राम- जेथी- खोयम, पो0 होकरा,  
जिला- पिथौरागढ़।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,  
विद्युत वितरण खण्ड,  
धारचूला।

प्रतिवादी

### निर्णय

वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, अतः पिताजी के नाम से पंजीकृत विद्युत संयोजन संख्या डीएच0 1एन0105087503 को अपने नाम परिवर्तन के लिए उन्होंने उपखंड कार्यालय मुनस्यारी में प्रपत्र जमा कराये थे। परन्तु अभी तक उनके नाम संयोजन परिवर्तित नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके बिल लगातार बढ़कर आ रहे हैं। उन्होंने बिलों को ठीक करने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 110 दिनांक 14.10.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

1. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 14.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री बलवन्त चन्द्र, लेखाकार उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी द्वारा नाम परिवर्तन के लिए उपखण्ड कार्यालय मुनस्यारी में प्रपत्र जमा कराए गए थे जो कि अपूर्ण थे। उपभोक्ता से उनके दिये गये फोन न0 पर वार्तालाप करने के पश्चात् उपभोक्ता ने अपूर्ण पत्र के सापेक्ष अपने नाम की खाता खतोनी व्हासटअप पर पीडीफ के रूप में भेजी जिसे उपभोक्ता के हित में स्वीकार कर लिया गया है। विभाग द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता को नाम परिवर्तन करने के लिए जमानत धन राशि रू0 600 जमा करनी है। वादी को यह भी बताया गया कि वह अपना करंट बिल भी जमा करें। उपरोक्त राशि जमा करने के पश्चात् नाम परिवर्तन की कारवाही की जायेगी। विभाग ने यह भी बताया कि वादी के बिल सही निर्गत किये गये हैं। मंच द्वारा वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 27.11.2024 नियत की गई थी।

20/11/24

20/11/24

20/11/24

- मंच की सुनवाई दिनांक 27.11.2024 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित अधिशासी अभियन्ता - धारचूला ने बताया की वादी द्वारा अपने संयोजन के नाम परिवर्तन के लिए उपखण्ड कार्यालय मुनस्यारी में पत्र जमा कराए गए थे जो कि अपूर्ण थे जिसके लिए व्हासटअप पर उपभोक्ता से आवश्यक पत्र मंगा कर नाम परिवर्तन की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि वादी को नाम परिवर्तन के लिए करंट बिल के साथ जमानत धन राशी 600रु0 जमा करनी है जिसके पश्चात् वादी का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। वादी से उनके द्वारा दिए गए फो0 नं0 8279864937 पर बात कि गई। वादी ने बताया कि वह उपरोक्त राशि जल्दी ही जमा कर देंगे। वादी द्वारा उपरोक्त का भुगतान के पश्चात् विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर नाम परिवर्तन की कार्यवाही कि जाए।

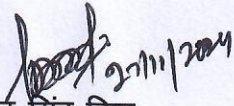
### आदेश

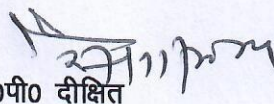
विभाग द्वारा संयोजन के नाम परिवर्तन हेतु वादी से आवश्यक प्रपत्रों की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। वादी को नाम परिवर्तन के लिए जमानत धनराशि रु0 600 के साथ करंट बिल भी जमा करना है जिसको जल्दी ही जमा करने के लिए वादी ने आश्वस्त किया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा उपरोक्त का भुगतान के पश्चात् 15 दिन के अंदर नाम परिवर्तन की कारवाही कि जाए। वादी के बिल सही निर्गत किये गये हैं जिस पर वादी ने अपनी सहमति दे दी है।

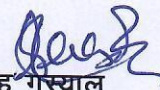
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 27.11.2024

  
भूपेन्द्र सिंह बिष्ट  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओपी0 दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गेस्यल  
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-60/2024

श्री रतन सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह ,  
ग्राम- खोयम, पो- होकरा,  
जिला- पिथौरागढ़।

वादी

बनाम

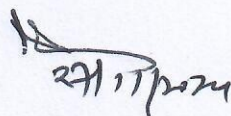
अधिशाली अभियंता,  
विद्युत वितरण खण्ड,  
धारचूला।

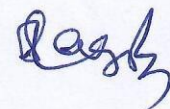
प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या डीएचओ 1एन0105145450 के सापेक्ष उनका बिल लगातार बढ़कर आ रहा है जबकि उनके यहाँ फ्रीज, कूलर, टीवी आदि नहीं हैं। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 109 दिनांक 14.10.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 14.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री बलवन्त चन्द्र, लेखाकार उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी के बिल नवंबर 2018 से सितंबर 2024 तक आरडीएफओ में निर्गत किए गये थे जिसका संशोधन कर तथा 18928 रु० की धनराशि का संमायोजन करते हुए नेट बिल 2224 रु० बना है जो सही है और देय है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 27.11.2024 को नियत की गई थी।
3. मंच की अन्तिम सुनवाई दिनांक 27.11.2024 में वीडियो कोन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित अधिशाली अभियन्ता-धारचूला ने बताया कि वादी के बिल, नवंबर 2018 से सितंबर 2024 तक आरडीएफओ के आधार पर बने थे जिसको संशोधित कर तथा रु० 18298 का संमायोजन कर नेट धनराशि 2224 रु० आती है जो सही है और देय है। उपरोक्त पर वादी द्वारा दिए गये फो० नं० 8279864937 पर सुनवाई की गई। वादी श्री रतन सिंह ने बताया कि उपरोक्त धनराशि सही है और उन्होंने अद्यतन बिल के रूप में रु० 3500 का भुगतान भी कर दिया है।

  
27/11/24

  
27/11/24



भाट हि 60/2024

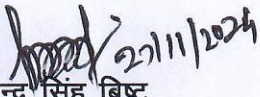
### आदेश

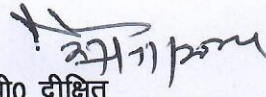
विभाग द्वारा नवम्बर 2018 से सितम्बर 2024 तक आरडीएफ0 के बिलों का संशोधन कर तथा संशोधित बिल में रू0 18928 का समायोजन कर नेट बिल रू0 2224 निर्गत कर दिया गया है जिसके सापेक्ष वादी द्वारा अद्यतन बिल के रूप में रू0 3500 का भुगतान भी कर दिया है।

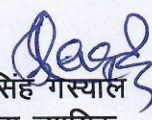
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 27.11.2024

  
भूपेन्द्र सिंह बिष्ट  
सदस्य उपभोक्ता

  
ओ०पी० दीक्षित  
सदस्य तकनीकी

  
चामू सिंह गस्याल  
सदस्य न्यायिक